फद अहकाम

सूरजमल **बनाम** गोविन्दा वगैरा

नाम न्यायालय SDO शाहपुरा

केस संख्या 96/22 धारा 151 CPC

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	23/1/23	प्रकरण धारा 151 CPC पेश होने पर इस न्यायालय के मु.नं. 16/98 दिनांक 18.2.2000 में जैला पुत्र भैरा की जगह जैला उर्फ जयनारायण पुत्र गंगासहाय दुरुस्त करने की प्रार्थना की गई है। तत्पश्चात पक्षकारों की तलबी की गई वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि प्रार्थना पत्र मियाद बाहर है तथा प्रार्थना पत्र की आड़ में दीगर वाद में लाभ उठाने की गर्ज से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जैला का गंगासहाय से कोई सम्बन्ध नहीं होना बताया वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया वकील अप्रार्थी ने बहस में वादपत्र में पेश शुदा की जवाब दावे में जैला का अंगूठा होना व भैरा का पुत्र स्वीकार करने का कथन करते हुए 22 वर्ष पश्चात मियाद बाहर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने व न्यायालय की डिक्री में इस स्टेज पर संशोधन की आज्ञा नहीं दिए जाने की प्रार्थना की। वकील प्रार्थी ने जैला का पता लिखवा नहीं जाना बताया व अंगूठा लगा होने की बात कही। जिसको उसे पूर्णरूपेण जानकारी नहीं होना अभिकथित कहा व वांछित संशोधन से अप्रार्थी को कोई हितों का नुकसान नहीं होना कहा। उभय तर्कों पर मनन किया पटवारी हल्का उदावाला से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया तो पटवारी हल्का जांच रिपोर्ट में जैला भैरा का पुत्र नहीं होकर गंगासहाय का पुत्र होना बताया गया है। इस वांछित शुद्धि से अप्रार्थी के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है अतः प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 151 CPC स्वीकार किया जाता है। ~~एवं एवं डिक्री~~ अतः मुताबिक ब्जोदवा निर्णय व डिक्री दिनांक 18-2-2000 में जहां जहां भी जैला पुत्र भैरा के स्थान पर जैला उर्फ जयनारायण पुत्र गंगासहाय शेष इन्द्राज यथावत का अंकन किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर सूचावाद के दाखिल दफ्तर रहे। [signature]	

उप खण्ड अधिकारी

शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान